न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(लेण्ड रेकर्ड ऑफिसर), शिवगंज जिला सिरोही

पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, R.A.S

प्रार्थी		अप्रार्थीगण
जतनाबाई पत्नी स्व. चमनाराम जाति मेघवाल निवासी खेजडिया तह0 शिवगंज जिला सिरोही	बनाम	राजस्थान राज्य सरकार जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता श्री जितेन्द्रसिंह राव

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी * शिवगंज (राजस्थान)

राजस्व प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

रा. प्रार्थना पत्र संख्या 22/2025

–:आदेश:–

दिनांक 27.06.2025

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल. आर. एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश किया जिसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि यह कि मौजा खेजडिया, पटवार हल्का केशरपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज के खाता संख्या 62 में वर्णित खसरा संख्या 420, 421, 423/2 कुल किता 3 कुल रकबा **2.2015 हैक्टेयर** कृषि भूमि आई हुई हैं, जो राजस्व रेकर्ड में सम्पूर्ण भूमि प्रार्थीया के स्वर्गीय पति चमनाराम के नाम से दर्ज हैं, जिस पर वर्तमान में प्रार्थीया काबिज काश्त है। उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि संवत 2076–2079 की खतौनी में प्रार्थीया के पति का नाम चमनाराम पुत्र नवाराम, जाति मेघवाल, सा. देह खातेदार दर्ज हैं जबकि प्रार्थीया के पति के मतदान पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र आदि में उनका नाम चमनाराम पुत्र मनरूपराम, जाति मेघवाल हैं जो कि सही एवम् सत्य हैं। प्रार्थीया के पति की उक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थीया के पति के पिता का नाम शुद्धिकरण व विरासत नामान्तकरण हेतु हल्का पटवारी को प्रार्थना पत्र पेश किया था। जिस पर हल्का पटवारी द्वारा प्रार्थीया के पास उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य अनुसार रिपोर्ट दी गई जिसमें दर्शाया गया कि प्रस्तुत साक्ष्य मतदान पहचान पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र में प्रार्थीया के पति का नाम चमनाराम पुत्र मनरूपराम, जाति मेघवाल हैं जबकि राजस्व रेकर्ड में चमनाराम पुत्र नवाराम, जाति मेघवाल दर्ज है। ऐसी स्थिति में पटवारी के स्तर से चमनाराम पुत्र नवाराम, जाति मेघवाल से चमनाराम पुत्र मनरूपराम, जाति मेघवाल शुद्ध किया जाना संभव नहीं है। जिस पर उक्त शुद्धिकरण हेतु सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हैं । उपरोक्त वर्णित भूमि पर प्रार्थीया काबिज काश्त हैं। अतः माननीय न्यायालय से निवेदन हैं कि मौजा खेजडिया, पटवार हल्का केशरपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज के खाता संख्या 62 में वर्णित खसरा संख्या 420, 421, 423/2 की भूमि में चमनाराम पुत्र नवाराम, जाति मेघवाल के स्थान पर चमनाराम पुत्र मनरूपराम, जाति मेघवाल दर्ज कर राजस्व रेकर्ड शुद्ध करने का निवेदन किया गया है।

प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार शिवगंज से रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार शिवगंज के पत्र क्रमांक कोर्ट/2025/312 दिनांक 19.05.2025 के द्वारा रिपोर्ट भिजवायी गई जिसमें अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी में प्रार्थीया के ससुर का नाम चमनाराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल ही दर्ज है। व ग्राम खेजडिया के नामांतरकरण सं0 42 प्रकार आवंटन के अनुसार तहसील आदेश नं0 2370 दिनांक 12.06.1963 के द्वारा बिलानाम आराजी खसरा नं0 420,421, 423/2 रकबा 13.12 बीघा चमनाराम पुत्र नवा भांबी सा. देह के नाम दर्ज किया गया। नामांतरकरण सं0 163 दिनांक 31.03.1976 के द्वारा चमनाराम वल्द नवा मेगवाल सा.देह [illegible] री के स्थान पर चमनाराम वल्द नवा मेगवाल सा. देह खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थी [illegible] वक्ता ने दिनांक 20.06.2025 को ग्राम पंचायत केसरपुरा का अन[illegible] पत्र [illegible] जिसमें उनके द्वारा अवगत कराया है कि चमनाराम पुत्र न[illegible] चमनाराम पुत्र मन[illegible] मेघवाल ही है व इसी दिन प्रार्थनापत्र पर प्रार्थी अधिवक्त[illegible] बहस की जिसे सुन[illegible]। प्रार्थी अधिवक्ता ने वहस में बताया कि प्रार्थी के ससुर का उपरोक्त दस्तावेजों व शपथपत्र के आधार पर नाम संशोधन करवाने का पुनः निवेदन किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

लगातार

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:33 IST
Reason: SelfAttested

प्र०सं०–22 / 2025
जतनाबाई बनाम तहसीलदार शिवगंज
अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

हमनें पत्रावली, संलग्न दस्तावेजों व प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत के अनापत्ति का अवलोकन किया जिससे प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में बनने से दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। अतः मौजा खेजडिया, पटवार हल्का केशरपुरा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र शिवगंज, तहसील शिवगंज के खाता संख्या 62 में वर्णित खसरा संख्या 420, 421, 423/2 कुल किता 3 कुल रकबा **2.2015 हैक्टेयर** भूमि में दर्ज दर्ज सा. देह खातेदार चमनाराम पुत्र नवाराम जाति मेघवाल के स्थान पर **चमनाराम पुत्र मनरूपराम जाति मेघवाल** नाम दुरस्त किये जाने का **आदेश** दिया जाता है। तहसीलदार शिवगंज तदअनुसार पालना करें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 27.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र, R.A.S)
लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांकः–कोर्ट / 2025 / 380
प्रतिलिपि पालनार्थः–
तहसीलदार शिवगंज ।

दिनांक 27–06–2025

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर (एस.डी.ओ.)
शिवगंज

उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.27 13:07:33 IST
Reason: SelfAttested